



420

415 1Re



10/11/18
81
5.46
94.15
जा. रि. 2

4.6 1/2 1000
23 I A with the permission
by L.R.D.C. Simdega
Case no. 36/18-19

order dated
20.7.18

विज्ञापन पत्र
=====

मेड्यकारो:- श्री जस्टिस जिल्लिंग मिता स्व0 जोसेफ विजुंग
जाति- बड़िया, पेशा- फौजदारो, निवात गाँव- सिमडेगा
हुमरटौली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

... .. विज्ञापन ।

आधार संख्या- 4661 7373 6393
पैन नं०- डी. टी. आर्च. पी. वी. 2760एन.

संख्या- 285/2018
युजेल कार्यालय जेष्ठित उतिवधित

सुपर प्लान मारुद...
N. No 285/2018

रामानुजल सोरंग
पिता - स्व. स्वामि स्वामी सोरंग
माता - सिमडेगा हुमरटौली
थाना + जिला सिमडेगा
24.7.18

॥ 2॥ मुख्यधारिणी:- सुश्री अल्का अनिता बाइल पिता स्व० जीसेफ बाइल जाति- उराँव, पेशा- नौकरी, निवास गाँव- बाछलता, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

आधार संख्या- 9269 0915 4014

पैन नं०- बी. ह्यु. ओ. पी. बी. 7928एल.

गमध-पत्र संख्या:- 286 / 2018

॥ 3॥ मुख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन के वास्तु बिक्री होता है ।

॥ 4॥ मूल्य:- मौजलिंग आठ लाख पच्चीस हजार रुपया अकि 8,25,000/- रुपया होता है ।

॥ 5॥ सम्मति:- सराजियात अन्दर मौजा- सिमडेगा, थाना नं० 116, थाना- सिमडेगा, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वी. जिला-सिमडेगा के खाता नं० 14 चौदह प्लॉट नं० 1252 बाराह बी. बावन रकबा 1.44 एकड़ में से 0.15 एकड़ पन्द्रह डिसमिल

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश नीज,

दक्षिण:- प्लॉट नं० 1253 एवं 1393,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश कच्चा रास्ता 12 फीट,

पश्चिम:- प्लॉट नं० 1254,

मालगुजारी 20 पिसा वीस पिसा अलावे तैस सालाना ।

वर्णित बिक्रीत जमीन शहरी क्षेत्र के चार भागों में से आवासीय है

जिसपर मकान या किसी प्रकार का संरचना नहीं है तथा मौजा-

सिमडेगा हुसर टोली में है जो नगर परिषद, सिमडेगा के वार्ड नं०

08 में अवस्थित है जिसका डॉकिंग नं० 008 0000/10000एल. 0 है ।

ज र श र
२५.७.१८

प्रथम हांग
अला-सामुखल हांग
नाम- बहाल टोली सिमडेगा
थाना + जिला सिमडेगा
२५.७.१८

मैं लेख्यकारी शमथपूर्वक कहता हूँ कि विक्रीत जमीन को पूर्व में मेरे द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को विक्री नहीं किया गया है ।

§ 18 § वृत्ति मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने हेतु रुपयों की जरूरत पड़ी और इस समय बिना जमीन के रुपया मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन की खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

§ 20 § इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वी मन की रक्षता में रहकर उपर आना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद पोस्त बुकता पाकर वेवा वी बेची गई जमीन का कुल हक दखल वी अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§ 30 § प्रमाणित किया जाता है कि विक्रीत जमीन लेख्यकारी की खतियानी जमीन है जो आर. एस. में स्तो खड़िया के नाम से दर्ज है स्तो खड़िया की मृत्यु हो गई उसे दो पुत्र हुए बिरसा उर्फ पौलुस खड़िया और जकनी खड़िया । दोनों भाईयों के बीच जमीनों का मौखिक बँटवारा हो गया है । विक्रीत भूमि बिरसा उर्फ पौलुस खड़िया को मिली है । बिरसा उर्फ पौलुस खड़िया की मृत्यु हो गई उसे दो पुत्र जस्टिन बिलुंग § लेख्यकारी § एवं ललित बिलुंग हैं दोनों भाईयों के बीच भी जमीनों का मौखिक बँटवारा हो गया है और विक्रीत भूमि लेख्यकारी को हिस्से में मिली है जिसपर लेख्यकारी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा किसी तरह का झगड़ा शकंठ नहीं है विक्रीत भूमि ताएमी है जिसका पूर्व लगान पाने वाला मनेजर इनकम्पेंट इस्टेट मीन जानीव टीकेत शीरी नीवाश हुसुम सिंह देव

विक्रीत
जमीन
को
पुनः
बिक्री
नहीं
किया
गया
है

हैं वर्तमान विक्रीत जाता का मालगुजारी बिरसा उर्फ पौलुस
जड़िया वंगरह के नाम से दिया जाता है जो पंजी II के भील्युम
1, पृष्ठ 21 में दर्ज है ।

§ 4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं
अतः जमीन खरीद विक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान्
उप समाह्वर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर
कार्यकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका
वाद संख्या 36/2018-19 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 20.07.2018
को प्राप्त हुई जिसका मेमो नं० 754 दिनांक 20.07.2018 है ।

§ 5§ अब बाहिर कि लेखधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वी
दखनकार होकर मकान, गहन, कुँआ, बारी इत्यादि बनाकर अपने
उपयोग में लावे वी झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा
के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारोख लेख्य से
वी अदाय मालगुजारी के रसीद प्राप्त नाम से हासिल किया करें ।

§ 6§ इसलिए यह विक्रय पक्ष केवाला पैला कलामी सदा दिन के
लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वी वक्त जरूरत पर काम आवे ।

मे, यह घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हस्त्वन्दी,
वैश्य, हिन्द, आस गहन, भू-दान, तैरात, लोज, आम गैर गजरात
से संबंधित नहीं है ।

2/11/18
5

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वी बचत जमीन सिनिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

अरिन्दन सिनिंग
24.7.18




प्रमाणित किया जाता है कि कोलकाता
अरिन्दन सिनिंग के बांये हाथ के पांचों अंगुलियों
का छाप मेरे समक्ष किया गया है ।

Sita Ram Matto
Advocate
24.7.18

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वी
अरोदगो के बाद कुल धारित जमीन सिनिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Alka Anima Bira
24-7-18



प्रमाणित किया जाता है कि कोलकाता
अल्का अनिमा बिरा के बांये हाथ के पांचों
अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष किया गया है ।

Sita Ram Matto
Advocate
24.7.18

24.7.18
Sita Ram Matto

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुनाया वी समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

गौतम
20/11/18
24/7/18

सही/-

S. K. Rawal Advocate
24.7.18

प्रारूपकर्ता

तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कूल छः पृष्ठों में मेरे द्वारा टंकित हैं जो खण्डन रहित है ।

टंकक

मौ० महबूब

24.7.18

मौ० महबूब

कचहरी परिसर,

सिमडेगा ।

अनुमोदक:-

1. बिक्रेता, क्रेतिका एवं पहचानकर्ता का आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. परमिश्रित गैड्युल का मूल प्रति,
3. अंचल रिपोर्ट एवं आदेश का सच्ची प्रतिलिपि,
4. खतियान का छायाप्रति,
5. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
6. इमिज मैप का छायाप्रति,
7. प्लेन मैप का मूल प्रति,
8. फॉर्म नं० 1 का मूल प्रति,
9. हॉलडिंग टैक्स की छायाप्रति,
10. मरिदा का कूट का शपथ पत्र